हरिभूमि
रायपुर मुख्य संस्करण - Page 12
27 July 2025

जवाब की मांग कर रहा है।

को कह रहे थे।

नर्सिंग होम या क्लिनिक को सील करने 30 दिन का नोटिस जरूरी : हाईकोर्ट

बिलासपुर। नर्सिंग होम व क्लिनिकल सेंटर के खिलाफ कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट ने जरुरी गाइड लाइन जारी किया है। सिंगल बेंच ने कहा है कि तय मापदंडो और नियमों का पालन करना जरूरी है। संबंधित अधिकारी उस अस्पताल या नर्सिंग होम को 30 दिन का नोटिस जारी करेगा जिसे बंद या सील किया जाना है। लाइसेंस निरस्त या निलंबित करने से पहले भी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। नोटिस में उस कारण का भी स्पष्ट उल्लेख करना होगा। इस आदेश के साथ हाईकोर्ट ने महासमुंद जिले के सरायपाली में संचालित मातृ केयर नर्सिंग होम को दोबारा खोलने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने अस्पताल को सील करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। मामले में कोर्ट ने अस्पताल खोलने की अनुमति देने के साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है।

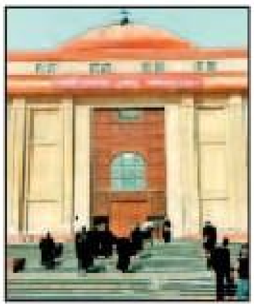

है मामला: मामला सरायपाली के रहने वाले प्रशांत कुमार साहू की शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया था कि अस्पताल में लापरवाही से इलाज किया गया, जिससे उनकी पत्नी विकलांग हो गई। प्रशांत ने सरायपाली थाने में लिखित शिकायत दी थी कि 10 अक्टूबर 2024 को उनकी पत्नी का ऑपरेशन डॉक्टर शिबाशीष बेहरा ने किया था, लेकिन ऑपरेशन में गंभीर लापरवाही हुई, जिसके चलते उनकी पत्नी को स्थायी शारीरिक नुकसान पहुंचा।

Ajay Advt.